


—::आदेश::—

अतः अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गनोडा को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी के नाम दर्ज गैर खातेदारी खसरा संख्या 321 रकबा 0.60 हैक्ट. को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी घाटोल के आवंटन आदेश क्रमांक 82-83, दिनांक 28.01.2022 की पालना में अमल दरामद की कार्यवाही करें। शेष आवंटित खसरा संख्या 316, 318, 319, 320 की भूमि गैर खातेदारी के नाम बदस्तूर रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(मनसुख राम डामोर, RAS)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
घाटोल